(26)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

विविध प्रकरण कमांक 1833–एक/1999 विरूद्ध इस न्यायालय के आदेश दिनांक 5–5–1999 प्रकरण कमांक अपील 809–एक/1999 के आदेश की अवमानना हेतु धारा–– मानहानि अधिनियम

भैरूलाल आत्मज रामाजी गारी
निवासी दड़िया तहसील खाचरोंद
जिला उज्जैन

––––– आवेदक

विरूद्ध

1. भंवरसिंह आत्मज श्रवरण सिंह राजपूत
   निवासी बिरला ग्राम नागदा
   तहसील खाचरोंद जिला उज्जैन
2. आशीष कुमा सक्सेना
   अनुविभागीय अधिकारी खाचरोद
   जिला उज्जैन
3. सुन्दरलाल उपाध्याय
   पटवारी हल्का कं0 26 ग्राम दाडिया
   तहसील खाचरोंद जिला उज्जैन
4. पुंजीलाल बकावले
   तहसीलदार खाचरोद जिला उज्जैन

––––– अनावेदकगण

श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक –आवेदक

:: आदेश ::

(दिनांक 22 जनवरी 2016 को पारित)

यह प्रकरण आवेदक द्वारा इस न्यायालय के आदेश दि0 05–5–1999 की अवमानना हेतु न्यायालय मानहानि अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 24–4–1999 को इस न्यायालय के प्रकरण कमांक

अपील 809–एक/1999 में आदेश दिनांक 5–7–1999 के द्वारा स्थगित किया गया था जिसकी प्रति अनुविभागीय अधिकारी को दिनांक 10–5–1999 को उपलब्ध कराने के उपरांत भी आदेश की अवहेलना कर अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 17–7–1999 के द्वारा नामांतरण आदेश पारित किया। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश पारित कर इस न्यायालय के आदेश की अवमानना की है। अतः अवमानना प्रकरण स्वीकार कर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध आवश्यक एवं उपयुक्त कार्यवाही की जाये।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायलय के अभिलेख का अवलोकन किया। अपर आयुक्त के प्रकरण कमांक 41/97–98/अपील एवं 43/97–98/अपील में पारित आदेश दिनांक 9–4–1999 के विरूद्ध इस न्यायालय में आवेदक द्वारा अपील 809–एक/1999 एवं 810–एक/1999 प्रस्तुत की। उक्त अपीलों में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 5–5–1999 को यथास्थिति के आदेश दिये। आवेदक द्वारा इस न्यायालय के यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिनांक 05–5–1999 की प्रति अनुविभागीय अधिकारी को दिनांक 10–5–1999 को उपलब्ध कराने का तर्क है अभिलेख से परिलक्षित नहीं होता है कि आवेदक द्वारा उक्त आदेश की प्रति अनुविभागीय अधिकारी को दिनांक 10–5–1999 को उपलब्ध करा दी थी तथा आदेश के बाद भी अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 17–5–1999 को नामांतरण आदेश पारित किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश पत्रिका दिनांक 24–5–1999 के अवलोकन से स्पष्ट है जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा लेख किया है कि आवेदक द्वारा स्थगन आदेश की प्रति दिनांक 24–5–1999 को उपलब्ध कराई है जबकि इस न्यायालय से आदेश दिनांक 17–5–1999 को पारित किया जा चुका है। आवेदक अपने तर्कों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे यह सिद्ध होता हो कि इस न्यायालय के यथास्थिति के आदेश की प्रति उसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में दिनांक

10–5–1999 को उपलब्ध करा दी गई थी। इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त ने अपने स्वयं के आदेश दिनांक 24–4–1999 के आदेश को उसी दिन 15 दिवस तक के लिए स्थगित किया था जिसके पालन में अनुविभागीय अधिकारी ने 15 दिवस पश्चात ही प्रकरण में नामांतरण आदेश पारित किया है। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी वरिष्ठ न्यायालय के आदेश की अवमानना किया जाना सिद्ध नहीं होने से यह अवमानना प्रकरण निरस्त किया जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर